

Serial No.....

Girl Hostel Admission Form Govt. National College, Sirsa

Session.....

Name of the Candidate.....

Father's Name

Class.....

College/University Roll No.....

Faculty: Arts/Science/Commerce

Permanent Address.....

Mobile Number.....


Nationality Caste..... Married/Unmarried.....

Rural/Urban..... Distance of your Home from the Collegekm

Have you ever been expelled from any Hostel.....

If yes, Name the Hostel..... Room No.....

Class..... Session.....



I have gone through the rules regarding College Hostel & Hostel Mess given over leaf and I hereby promise to abide by these rules.

.....

.....

.....

.....

Signature of Father/Guardian

Signature of Candidate

Date

Date.....

Recommendation of Hostel

Superintendent

Hostel Warden

Principal's Order

For Office Use Only

Security	Amount	Receipt No.	Date
(a) Hostel Security
(b) Mess Security

महिला छात्रावास के नियम :-

1. छात्रावास अधीक्षक की अनुमति के बिना कोई छात्रा कक्ष-परिवर्तन नहीं कर सकती।
2. बिजली का कोई उपकरण छात्रावास में वर्जित है। नियम का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड दिया जाएगा।
3. छात्राओं को दिए गए फर्नीचर का सारा उत्तरदायित्व उनका होगा। क्षति की स्थिति में क्षतिपूर्ति उन्हे ही करनी होगी।
4. यदि किसी छात्रा को महाविद्यालय समय के बाद ट्यूशन / कौचिंग या किसी अन्य आवश्यक कार्य के लिए छात्रावास से बाहर जाना है तो उसे किसी भी स्थिति में अक्टूबर से फरवरी तक सांय 6 बजे व मार्च से सितम्बर तक सांय 7 बजे के बाद छात्रावास से बाहर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. छात्रावास में प्रवेश के समय छात्रा को पिता/अभिभावक (अधिकतम चार) के नाम, पते, मोबाईल नम्बर तथा दो फोटो देनी होगी जो छात्रावास के रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे तथा वहीं छात्रा से मिलने के लिए छात्रावास में आ सकते हैं या छात्रा उनके साथ छात्रावास से बाहर जा सकती है। अभिभावकों के लिए माता-पिता की सहमति होना जरूरी है। जिस व्यक्ति का नाम सूची में नहीं होगा, उससे छात्रा से मिलने की अनुमति नहीं होगी।
6. किसी भी बाहरी व्यक्ति चाहे वो छात्रा की माता व बहन ही क्यों न हो उसे छात्रावास में रूकने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
7. स्थानीय अभिभावक अगर कोई है तो उसका का नाम, पता, टेलिफोन न0., छात्रा को उसके माता पिता व स्थानीय अभिभावक के साथ रंगीन फोटो देना आवश्यक है।
8. कोई छात्रा स्थानीय अभिभावक के घर रात को नहीं रूक सकती।
9. आपातस्थिति में डाक्टर के पास जाने के लिए छात्रावास अधीक्षक की अनुमति आवश्यक है। जहां तक सम्भव हो तो छात्रावास अधीक्षक डॉक्टर के पास जाने के समय छात्रा के साथ रहेगी परन्तु ईलाज पर खर्च छात्रा को ही वहन करना पड़ेगा। छात्रावास में फर्स्ट ऐड से अगर छात्रा को आराम मिलता है तो उस स्थिति में छात्रा से कोई भुल्क नहीं लिया जाएगा।
10. छात्राओं के नाम आने वाली डाक या पार्सल आदि का निरीक्षण पहले अधीक्षक करेंगी। संदेह की स्थिति में उन्हे खोलने का अधिकार भी उन्ही के पास है।
11. छात्रावास में शाकाहारी भोजन ही दिया जाएगा। सभी छात्राओं को मैस के नियमों का पालन करना होगा।
12. बाहर से छात्रावास में खाना मंगवागा वर्जित होगा व मैस के खाने के खर्चे का महीने में कम से कम दो तिहाई (66%) भुगतान करना अनिवार्य है चाहे छात्रा मैस में कभी भी खाना न खाए। अगर महाविद्यालय में 1 सप्ताह से अधिक की लगातार छुट्टियां होती हैं एव छात्रा छुट्टियों में अपने घर जाती हैं तो उस समय की मैस की फीस में उसी अनुपात में छूट दी जाएगी।
13. छात्राओं को अपनी मैस की फीस हर माह की 10 तारीख तक जमा करवानी होगी। इसके उपरान्त 20 तारीख तक 50 रुपये जुर्माना तथा 20 से महीने की अंतिम तारीख तक 100 रुपये जुर्माना देना होगा। यदि इसके बाद भी कोई छात्रा मैस की फीस जमा नहीं करवाती है तो उसका छात्रावास से दाखिला रद्द कर दिया जाएगा व उसकी छात्रावास की सिक्वोरिटी से पैसे काटकर मैस की फीस जमा करवा दी जाएगी।
14. कोई भी छात्र/पुरुश चाहे व रिश्तेदार ही क्यों न हो, छात्रावास में प्रवे । द्वार से आगे नहीं आएगा। किसी भी पुरुश अधिकारी/कर्मचारी का छात्रावास में राजकीय नैशनल महाविद्यालय के प्राचार्य की अनुमती के बिना प्रवेश वर्जित है।

15. सभी छात्रावासी छात्राएं महाविद्यालय से छुट्टी के बाद सीधे छात्रावास आएंगी। यदि कोई छात्रा कही और जाती पाई गई तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
16. कोई छात्रा सिनेमा हॉल नहीं जाएगी।
17. छात्राएं अपने पास आभूषण या कोई अन्य कीमती सामान न रखें, चोरी होने पर महाविद्यालय की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
18. छात्रावास के स्नानगृहों या अन्य किसी सम्पत्ति का दुरुपयोग करने वाली छात्राओं को आर्थिक दंड दिया जाएगा।
19. छात्राएं किसी भी प्रकार का बिजली के उपकरण जैसे प्रैस, हीटर इत्यादि का उपयोग नहीं करेगी तथा बिना उपयोग के बती जलती छोड़ देने या पंखा चलता छोड़ देने पर आर्थिक दंड दिया जाएगा।
20. कोई भी छात्रा छात्रावास के कर्मचारी या मैस के किसी सदस्य के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगी।

अवकाश के नियम:-

1. बाजार जाने का समय बृहस्पतिवार को शाम 3 से 6 बजे के बीच होगा। कम से कम तीन छात्राएं एक साथ बाजार जाएंगी।
2. छात्रावास अधीक्षक की पूर्वानुमति के बिना छात्रावास से बाहर रहने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
3. छात्रा के छात्रावास से छुट्टी ले कर बाहर जाने के लिये छात्रावास में प्रवेश के समय पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर से 'डै' या 'जेंच' के जरिये छात्रावास अधीक्षक के मोबाईल पर संदेश आने के उपरांत ही जाने की अनुमति दी जाएगी। 'डै' में छुट्टी का समय भी अंकित किया जाना जरूरी है। छात्रावास से छुट्टी पर जाने व वापस आने की बीच की किसी भी दुर्घटना के लिए महाविद्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
4. घर जाते समय तथा घर से वापिस आने पर छात्रा को रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने होंगे। किसी भी कारण से यदि छात्रा समय पर छात्रावास में नहीं आती है तो उसे अपने पिता/ अभिभावक से कारण लिखवाकर लाएगी, तभी छात्रावास में प्रविष्ट होगी।
5. महीने के दूसरे तथा चौथे भानिवार/रविवार को छात्राएं अपने घर जा सकती हैं या अभिभावक छात्राओं से मिलने आ सकते हैं। इसके लिए छात्रा/अभिभावकों को व्यक्तिगत रूप से छात्रावास अधीक्षक से अनुमति लेनी होगी।

नोट:- किसी नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित छात्रा या आंगतुक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है तथा उसे छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है। छात्रावास की छात्राओं का चरित्र प्रमाण पत्र छात्रावास अधीक्षक की संतुष्टि पर ही जारी किया जाएगा।

—आदेशानुसार प्राचार्य,—
राजकीय नैशनल महाविद्यालय,
सिरसा

उपर दिए गये नियम व भातें मँने/हमने पढ़ ली है व मैं/हम इससे सहमत है।

छात्रा के हस्ताक्षर

अभिभावक के हस्ताक्षर